

प्रेषक,

महमूद आलम,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी)
कला एवं संस्कृति विभाग,
बिहार, पटना।

पटना दिनांक 02/02/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत निधि का आवंटन।

महाशय,

स्वीकृत्यादेश संख्या 578, 579 एवं 580 दिनांक 02.12.2025 तथा 684, 685 एवं 686 दिनांक 13.01.2026 के आलोक में क्रमशः बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय-सह-स्मृति स्तूप, वैशाली में Sweeper के द्वारा किये गये कार्यों के विरुद्ध माह अक्टूबर, 2025 का प्राप्त विपत्र के भुगतान हेतु ₹ 4,52,250/-, Security Guard के द्वारा किये गये कार्यों के विरुद्ध माह अक्टूबर, 2025 का प्राप्त विपत्र के भुगतान हेतु ₹ 4,43,516/- तथा माली एवं माली हेल्पर के द्वारा किये गये कार्यों के विरुद्ध माह अक्टूबर, 2025 का प्राप्त विपत्र के भुगतान हेतु ₹ 2,47,363/- तथा 08 ग्रास कटर माली के द्वारा किये गये कार्यों के विरुद्ध दिनांक 06.10.2025 से 31.10.2025 एवं 06 ग्रास कटर माली का दिनांक 01.11.2025 से 30.11.2025 तक प्राप्त विपत्र के भुगतान हेतु ₹ 2,22,278/-, 23 Security Guard/01 Security Supervisor के द्वारा किये गये कार्यों के विरुद्ध दिनांक 01.11.2025 से 30.11.2025 तक का प्राप्त विपत्र के भुगतान हेतु ₹ 4,70,891/- एवं Sweeper के द्वारा किये गये कार्यों के विरुद्ध दिनांक 06.11.2025 से 05.12.2025 तक का प्राप्त विपत्र के भुगतान हेतु ₹ 4,40,239/- मात्र वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-08 के अधीन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट शीर्ष "2205-कला एवं संस्कृति-107-संग्रहालय-0001-संग्रहालय, विपत्र कोड 08-2205001070001 के अन्तर्गत विषय शीर्ष 2804-व्यावसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ में तत्काल कुल राशि ₹ 22,76,537/- (बाईस लाख छिहत्तर हजार पाँच सौ सैंतीस रुपये) मात्र का आवंटन निम्नांकित रूप से आपके निस्ताराधीन व्यय के लिए सौंपा जाता है:-

विषय शीर्ष	पूर्व आवंटन	तत्काल आवंटन	कुल आवंटन
2804-व्यावसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ	₹ 4,95,000	₹ 22,76,537	₹ 27,71,537
योग-	₹ 4,95,000	₹ 22,76,537	₹ 27,71,537

तत्काल आवंटित राशि ₹ 22,76,537/- (बाईस लाख छिहत्तर हजार पाँच सौ सैंतीस रुपये) मात्र।


2 यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 एवं 227/वि0, दि0 28.03.2025 एवं 235 दिनांक 01.04.2025 के आलोक में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित अधिसीमा 33 प्रतिशत के अन्तर्गत दिया जा रहा है।

3 राशि की निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली, बिहार लोक निर्माण संहिता एवं वित्त विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत संकल्पों, पत्रों के आलोक में किया जायेगा।

4 वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0-12888 दि0 03.12.2024 में निहित प्रावधानों के आलोक में राशि की स्वीकृति दी गई है।

5 प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,



(महमूद आलम)

सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक 02/02/2026

ज्ञापांक 220/

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक 220/

प्रतिलिपि :- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, संग्रहालय निदेशालय/लेखा शाखा/आई0 टी0 मैनेजर, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक 02/02/2026

सरकार के संयुक्त सचिव।